कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी एंव धिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र)

ईमेल :- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226

DONATE ORGAN – SAVE LIFE
अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक / 5437 / स्था. / जी.एम.सी. / 2019 रतलाम दिनांक : 18/12/19

/ / आदेश / /

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चिकित्सक की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए पद, श्रेणी एवं वेतनमान पर अनंतिम रूप से की जाती है:–

स.क्र.	चिकित्सक का नाम	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान
1	डॉ. मोहम्मद हनीफ शेख	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	अन्य पिछड़ा वर्ग	15600–39100+5400

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

1. उक्त अनुसार वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगे । वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार है । सातवे वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगे।
2. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा।
3. चयनित प्रत्याशी को आदेश के दिनांक से 07 कार्य दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. इस नियुक्ति की अवधि म.प्र. सिविल (आचरण) नियम 1965 के प्रावधान लागू रहेगें।
5. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. यह नियुक्ति एक वर्ष कालावधि के परिवीक्षा पर होगी।
7. चयनित अभ्यार्थी की वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
8. इस नियुक्ति में अजा / अजजा / अपिव / महिला के पदो के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

"BE A PART OF THE MOVEMENT TO PROMOTE ORGAN DONATION"
अंगदान के महायज्ञ में अपनी सहभागिता देवें।

Scanned by CamScanner

9. यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेगी।

10. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस 01 वर्ष की अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जाएगा।

11. अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा।

12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होगी।

13. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी., एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ. /सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति मे उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. संस्था के किसी भी अधिकारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नही हैं।

18.12.19

DEAN
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

अधिष्ठाता एंव मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम

क्रमांक/ 5438–5444 /स्था./जी.एम.सी./2019 रतलाम दिनांक : 18/12/19

प्रतिलिपि :– की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2) संभागायुक्त, एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)।
3) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
5) जिला कोषालय अधिकारी जिला रतलाम।
6) डॉ. मोहम्मद हनीफ शेख, चिकित्सक की ओर वास्ते पालनार्थ।
7) कार्यालय लेखा शाखा (स्वशासी) की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता एंव मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम

Scanned by CamScanner